हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

<u>कार्यसूची</u>

बारहवां सत्र

बुधवार, 26 अगस्त, 2026/04 भाद्रपद, 1948(शक्)

<u>11:00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित :**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित :**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएगें:**

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) हिमाचल प्रदेश का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(2) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: ईडीयूसी-ए03/4/2023-ईडीयू-सी(152585), दिनांक द्वारा 11.06.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 15.06.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

3. **सदन की समितियों के प्रतिवेदन:**

(1) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2026-27),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **165वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) पर बने समिति के **96वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** पर आधारित तथा **बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग** से सम्बन्धित है;

(2) समिति का **83वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) पर बने समिति के **202वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** पर आधारित तथा **मत्स्य पालन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(3) समिति का **73वां मूल प्रतिवेदन** (नवम् विधान सभा) पर बने समिति के **260वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2026-27), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **36वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के तृतीय मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश सड़क व अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का **18वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) पर बने समिति के **53वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है।

(3) श्री आशीष बुटेल, सभापति, जन प्रशासन समिति, (वर्ष 2026-27), समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(4) श्री संजय अवस्थी, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2026-27), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **36वाँ प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(2) समिति का **37वाँ प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **उच्चतर शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

(5) **श्री केवल सिंह पठानिया, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2026-27),** समिति का **21वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(6) **श्री राम कुमार, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2026-27),** समिति का **24वां कार्रवाई प्रतिवेदन** जोकि **उद्यान विभाग** के कार्यों/गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री राम कुमार,** "Digital Meter लगने के बाद आम जनता को हो रही परेशानी से सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

(2) **श्री राकेश जम्वाल,** "भूस्खलन के कारण तत्तापानी-सलापड़ मार्ग बन्द होने से उत्पन्न स्थिति से सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

5. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

(1) **दिनांक 24.08.2026 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।**

(2) **श्री रणधीर शर्मा**
श्री सुधीर शर्मा
श्री राकेश जम्वाल
डॉ0 हंस राज
श्री जीत राम कटवाल

प्रस्ताव करेंगे कि:

"**युवाओं के लिए रोजगार सन्दर्भित गारंटी के कार्यान्वयन बारे**" यह सदन विचार करे।

(3) **श्री केवल सिंह पठानिया,** प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश के जल संसाधनों/जलविद्युत परियोजनाओं से देय रॉयल्टी, फ्री पावर, जल उपकर की बकाया देयताओं (Liabilities) की वसूली तथा राजस्व हितों के संरक्षण हेतु" यह सदन विचार करे।

शिमला-171004	(यशपाल शर्मा)
दिनांक: 25 अगस्त, 2026	सचिव।

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)